कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कांकेर
जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

क्र0/स्था./भर्ती/2021/ 3915 /कांकेर, दिनांक 18 /10/2021

//तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन//

संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/स्था.अवि./312/2021/857 नवा रायपुर, अटल नगर दिनॉक 23.08.2021 के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 का संशोधन नियम 11/06/2020 में दिये गये प्रावधानानुसार तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ/10–8/2019/1/एक, दिनांक 04 सितम्बर 2019 में दिये गये निर्देशानुसार **जिला संवर्ग** जिला कांकेर में तृतीय श्रेणी के पद – फार्मासिस्ट ग्रेड–02, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरूष/महिला)/ड्रेसर ग्रेड–01 एवं चतुर्थ श्रेणी – ओ.पी.डी. अटेण्डेन्ट, आया, स्वीपर के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु जिला कांकेर के पात्र एवं इच्छुक स्थानीय निवासी से **"विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड"** बस्तर के वेबसाईट **WWW.jssbbastar.cgstate.gov.in** पर दिनांक 25.10.2021 से 15.11.2021 रात्रि 12:00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

2. परीक्षा कार्यकम निम्नानुसार है –

1. परीक्षा की तिथि :– 19.12.2021 दिन रविवार.
2. परीक्षा का समय :– 11.45 से 2.00 बजे तक
3. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि :– 25.10.2021
4. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि :– 15.11.2021 रात्रि 12.00 बजे तक
5. **परीक्षा शुल्क :–**
   1. सामान्य वर्ग – 350 /–
   2. अन्य पिछड़ा वर्ग – 250 /–
   3. अनु.जाति/अनु.जनजाति दिव्यांगजन – 200 /–
6. **विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, बस्तर** द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, तथा उपरोक्त पदों हेतु विभाग को पदवार/जिलेवार मेरिट (वरियता) सूची उपलब्ध कराई जायेगी।
7. परीक्षा शुल्क केवल ऑनलाईन **"विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड"** का वेबसाईट www.jssbbastar.cgstate.gov.in में देय होगा।
8. परीक्षा केन्द्र की जानकारी प्रवेश पत्र में अंकित होगा।
9. पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट से भेजे जाने वाले आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जायेगें।

-00-

Scanned with CamScanner

3. रिक्त पदों का वर्गवार विवरण एवं अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है :–

(1) पदनाम – फार्मासिस्ट ग्रेड 02, तृतीय श्रेणी, वेतनमान 25300–80500, लेवल –06

अनारक्षित				अनुसूचित जनजाति				अनुसूचित जाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				कुल रिक्तियों में स्थानीय निवासी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित	कुल योग
मु.	म.	भू. पू. सै.	योग.	मु.	म.	भू. पू. सै.	योग.	मु.	म.	भू. पू. सै.	योग.	मु.	म.	भू. पू. सै.	योग.		
2	1	0	3	5	0	1	6	1	0	0	1	1	1	0	2	UR-1, ST-1 (OL,BL)	14

शैक्षणिक योग्यता (1) फार्मेसी कौंसिल से पंजीकृत औषधि निर्माण (फार्मेसी) में डिप्लोमा तथा
(2) छत्तीसगढ़ फार्मेसी कौंसिल में जीवित पंजीयन।

(2)पदनाम–ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरूष), तृतीय श्रेणी, वेतनमान 22400–71200, लेवल –05

अनारक्षित				अनुसूचित जनजाति				अनुसूचित जाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				कुल रिक्तियों में स्थानीय निवासी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित	कुल योग
मु.	म.	भू. पू. सै.	योग.	मु.	ग.	भू. पू. सै.	योग.	मु.	म.	भू. पू. सै.	योग.	मु.	म.	भू. पू. सै.	योग.		
4	0	0	4	8	0	0	8	1	0	0	1	2	0	0	2	0	15

शैक्षणिक योग्यता (1) जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण होना चाहिए।, प्रशिक्षण केन्द्र से बहुउद्देशीय कार्यकर्ता का प्रशिक्षण में 01 वर्षीय डिप्लोमा अथवा समकक्ष प्रशिक्षण जिसे राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हो उत्तीर्ण होना चाहिये। एवं
(2) अभ्यार्थी को छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौंसिल में पंजीकृत होना चाहिये।

(3)पदनाम–ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला), तृतीय श्रेणी, वेतनमान 22400–71200, लेवल–05 अनारक्षित, अजजा. अजा एवं अपिव के रिक्त 13 पद मितानीन संवर्ग के लिये आरक्षित है, जिसमें मात्र मितानीन संवर्ग के अभ्यार्थी ही पात्र होगें तथा दिव्यांगजन के लिये आरक्षित 03 पद खुली स्पर्धा का है, जिसमें सभी प्रशिक्षित दिव्यांग अभ्यार्थी आवेदन कर सकते है।

अनारक्षित (मितानीन संवर्ग)				अनु.ज.जाति (मितानीन संवर्ग)				अनु.जाति (मितानीन संवर्ग)				अपिव (मितानीन संवर्ग)				कुल रिक्तियों में स्थानीय निवासी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित (खुली स्पर्धा)	कुल योग
मु.	म.	भू. पू. सै.	योग.	मु.	म.	भू. पू. सै.	योग.	मु.	म.	भू. पू. सै.	योग.	मु.	म.	भू. पू. सै.	योग.		
0	3	0	3	0	7	0	7	0	1	0	1	0	2	0	2	UR-1, ST-2 (OL,BL)	16

शैक्षणिक योग्यता (1) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा(10+2) उत्तीर्ण होना चाहिए। (2) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 माह/24 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए।

Scanned with CamScanner

(3) अभ्यार्थी को छत्तीसगढ़ नर्सिंग कौंसिल में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रुप में पंजीकृत होना चाहिये। (4)
1. मितानिन के रूप मे 05 वर्ष की कालावधि के लिये निरंतर/आबाधित कार्य किया हो।
2. उसे मितानिन के दायित्वों से पदच्युत न किया गया हो। और
3. मितानिन के रूप में कार्य के दौरान मितानिन के कर्तव्यों से संबंधित कोई आपराधिक प्रकरण लेखबद्ध/दर्ज न हो।

(4)पदनाम– ड्रेसर ग्रेड 1, तृतीय श्रेणी, वेतनमान 19500–62000 लेवल –04

अनारक्षित				अनुसूचित जनजाति				अनुसूचित जाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				कुल रिक्तियों में स्थानीय निवासी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित	कुल योग
मु.	म.	भू. पू. सै.	योग.	मु.	म.	भू. पू. सै.	योग.	मु.	म.	भू. पू. सै.	योग.	मु.	म.	भू. पू. सै.	योग.		
1	0	1	2	2	1	0	3	1	0	0	1	1	0	0	1	ST-1 (OL,HH)	8

शैक्षणिकयोग्यता (1) विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण होना चाहिए। (2) अर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए।
(3) अभ्यार्थी को छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौंसिल में ड्रेसर के रुप में जीवित पंजीयन होना चाहिये।

(5)पदनाम– ओ.पी.डी अटेण्डेन्ट, चतुर्थ श्रेणी, वेतनमान 15600–49400 लेवल –01

अनारक्षित				अनुसूचित जनजाति				अनुसूचित जाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				कुल रिक्तियों में स्थानीय निवासी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित	कुल योग
मु.	म.	भू. पू. सै.	योग.	मु.	म.	भू. पू. सै.	योग.	मु.	म.	भू. पू. सै.	योग.	मु.	म.	भू. पू. सै.	योग.		
1	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4

शैक्षणिक योग्यता (1) कक्षा पॉचवी उत्तीर्ण होना चाहिए।

(6)पदनाम– आया, चतुर्थ श्रेणी, वेतनमान 15600–49400 लेवल –01

अनारक्षित				अनुसूचित जनजाति				अनुसूचित जाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				कुल रिक्तियों में स्थानीय निवासी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित	कुल योग
मु.	म.	भू. पू. सै.	योग.	मु.	म.	भू. पू. सै.	योग.	मु.	म.	भू. पू. सै.	योग.	मु.	म.	भू. पू. सै.	योग.		
0	6	0	6	0	14	0	14	0	2	0	2	0	4	0	4	UR-2 ST-2 (OA,OL,LV)	30

शैक्षणिक योग्यता (1) कक्षा पॉचवी उत्तीर्ण होना चाहिए।

Scanned with CamScanner

(7)पदनाम– स्वीपर, चतुर्थ श्रेणी, वेतनमान 15600–49400 लेवल –01

अनारक्षित				अनुसूचित जनजाति				अनुसूचित जाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				कुल रिक्तियों में स्थानीय निवासी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित	कुल योग
मु.	म.	भू. पू. सै.	योग.	मु.	म.	भू. पू. सै.	योग.	मु.	म.	भू. पू. सै.	योग.	मु.	म.	भू. पू. सै.	योग.		
0	1	0	1	2	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5

शैक्षणिक योग्यता (1) कक्षा पाँचवी उत्तीर्ण होना चाहिए।

4. नियम एवं शर्ते :–

1. उपरोक्त विज्ञप्ति में दर्शित पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन हो सकता है।
2. दिनांक 01.01.2021 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 5 वर्ष, महिलाओं के लिए 10 वर्ष तथा सभी प्रवर्ग के लिए सभी प्रकार के छूट सहित अधिकतम आयु सीमा की छूट 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। दिव्यांगजन उम्मीदवार को 3 वर्ष की आयु सीमा में अतिरिक्त छूट होगी परन्तु यह छूट 45 वर्ष की आयु सीमा तक ही सीमित होगा।
3. कांकेर जिले के स्थानीय निवासी होने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. तृतीय श्रेणी पदों के लिए आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरण यथा जन्म दिनांक हेतु हाई स्कूल (दसवीं) की अंकसूची/हायर सेकेण्डरी स्कूल की अंकसूची एवं डिप्लोमा/डिग्री के साथ जाति एवं निवास प्रमाण पत्र की मूलप्रतियां तथा चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए पांचवीं की अंकसूची के साथ जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रगाण पत्र, आदि की मूलप्रतियां एवं स्व–प्रमाणित् छायाप्रति सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
5. किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय/निगम/मण्डल में संविदा/दैनिक वेतन तदर्थ नियुक्ति पर कार्यरत् को अनुभव का अंक दी जावेगी बशर्ते आवेदक जिस पद पर आवेदन किया है उसी पद का कार्यानुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रतिवर्ष अनुभव के लिए 02 अंक प्रदान किये जाएगें। अनुभव के अधिकतम 10 अंक निर्धारित है। प्रत्येक 6 माह की सेवा अवधि पर 01 अंक दिये जायेंगे। नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेगें। अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश की प्रति सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना आवश्यक है। निजी संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
6. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यार्थी की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यार्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी।

Scanned with CamScanner

7. फार्मासिस्ट ग्रेड–2 ,ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला एवं पुरुष, ड्रेसर ग्रेड–1 पदों के लिए लिखित परीक्षा लिया जावेगा। परीक्षा के लिए अभ्यार्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा केन्द्र तक जाना होगा। इसके लिए कोई यात्रा भत्ता व्यय नहीं दिया जावेगा।
8. छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ/20–4/2014/आ.प्र./1–3, नया रायपुर, दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं पदों पर आरक्षण के लिए कम से कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हों, जिसमें फार्मासिस्ट ग्रेड–2 के लिए **OL** (एक पैर) एवं **BL** (दोनों पैर) तथा ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के लिए **OL** (एक पैर) एवं **OA** (एक हाथ) एवं ड्रेसर ग्रेड–1 के लिए **OL** (एक पैर) एवं **HH** (श्रवण बाधित) एवं आया **OA** (एक हाथ), **OL** (एक पैर), **LV** (कमजोर दृष्ट) दिव्यांग ही पात्र होंगे। जो व्यक्ति आरक्षण लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. चयनित अभ्यार्थियों को उपस्थिति के समय जिला चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यार्थी का पुलिस वेरीफिकेशन (चरित्र सत्यापन) नियोक्ता द्वारा कराया जायेगा।
10. ऑनलाईन दर्ज की गई विवरण को पूरी तरह से जांच कर लेवें। एक बार आवेदन कर दिये जाने के बाद त्रुटि सुधार के लिए किया गया कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
11. फार्मासिस्ट ग्रेड–2 ,ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला एवं पुरुष, ड्रेसर ग्रेड–1 पदों हेतु लिखित परीक्षा में निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित 100 अंक का बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे तथा अनुभव के लिए अधिकतम 10 अंक होगा। लिखित परीक्षा एवं अनुभव के अंक के आधार पर वरीयता सूची तैयार किया जावेगा।
12. चतुर्थ श्रेणी ओ.पी.डी. अटेण्डेट, आया, स्वीपर के रिक्त पदों के सीधी भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक को 90 प्रतिशत् अंक भार दिया जावेगा। अनुभव प्राप्त अभ्यार्थी को अधिकतम 10 अंक दिया जावेगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक एवं अनुभव के लिए निर्धारित अंक को जोड़ कर वरीयता सूची तैयार किया जावेगा।
13. विज्ञापन/आवेदन का प्रारूप कार्यालय कलेक्टर/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कांकेर/जिला रोजगार एवं मार्गदर्शन केन्द्र कांकेर/समस्त जनपद पंचायत/समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सूचना पटल पर एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के वेबसाईट पर भी देखा जा सकता है।
14. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले एवं विज्ञापन में दी गई निर्देशों/नियम शर्तो को पूरा करने पर ही निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रेषित् करेगें। आवेदक के द्वारा सावधानी पूर्वक जानकारी आवेदन में अंकित करेगें, आवेदन त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण होने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगें। इसके लिए बोर्ड अथवा नियोक्ता जिम्मेदार नहीं होंगे।
15. प्रवेश पत्र **"विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड"** के वेबसाईट पर अपलोड किया जावेगा। जिसे डाऊनलोड कर प्रिन्ट आऊट आवेदक को ही निकालना होगा।
16. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी।

(क) परिवीक्षा अवधि में वित्त निर्देश 21/2020 के तहत निम्नानुसार स्टायपण्ड देय होगा :–

प्रथम वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत्

द्वितीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत्

तृतीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत्

-00-

Scanned with CamScanner

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मयों की तरह प्राप्त होगा।
(ख) परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर नियमित किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू वेतन नियत किया जायेगा।

17. अभ्यार्थी के पास आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं अन्य अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।
18. यदि अभ्यार्थी छ.ग. शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत् हो तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख से जारी **"अनापत्ति प्रमाण पत्र"** दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
19. प्रतीक्षा सूची "विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड" द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम दिनांक से 01 वर्ष के लिए वैद्य होगी।
20. चयन उपरान्त् यदि कोई जानकारी असत्य/फर्जी पाई जाती है, तो नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी तथा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
21. भर्ती प्रकिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार की वाद पर अन्तिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था./भर्ती/2021/ 3915-A कांकेर, दिनांक 18 /10/2021
प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. शासन संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त एवं अध्यक्ष विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकरी, जिला पंचायत कांकेर की ओर सादर सूचनार्थ।
7. जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, जिला उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सूचनार्थ।
8. समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जिला उ.ब. कांकेर की ओर सूचना पटल में चस्पा करने हेतु सूचनार्थ।
9. जिला रोजगार एवं मार्गदर्शन केन्द्र, जिला उ.ब.कांकेर की ओर सूचना पटल में चस्पा करने हेतु सूचनार्थ।
10. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकरी, जनपद पंचायत जिला उ.ब. कांकेर की ओर सूचना पटल में चस्पा करने हेतु सूचनार्थ।
11. समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी, जिला उ.ब.कांकेर की ओर सूचना पटल में चस्पा करने हेतु सूचनार्थ।
12. जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र कांकेर को विज्ञापन जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

18-10-2021

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner